पत्रांक–अ०सं०क०–08–ग–आ०वि० (स्था०)–11/2024...1016......./

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डा० अमीर आफाक अहमद फैजी
विशेष सचिव–सह–निदेशक

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 06.03.2026

विषयः– **बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार, जमुई, नालन्दा, मुजफ्फरपुर एवं कैमूर के अन्तर्गत सेवानिवृत प्रधानाध्यापक/उच्च माध्यमिक (10+2) शिक्षक (प्रशिक्षित)/माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन करने के संबध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, **कटिहार, जमुई, नालन्दा, मुजफ्फरपुर एवं कैमूर के अन्तर्गत शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से सेवानिवृत प्रधानाध्यापक/उच्च माध्यमिक (10+2) शिक्षक (प्रशिक्षित)/माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) को संविदा के आधार पर नियोजन** हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। आवेदन समर्पित करने की तिथि 20.03.2026 से 20.04.2026 तक निर्धारित है। विज्ञापन प्रकाशन की सामग्री (हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सहित) संलग्न है।

अनुरोध है कि इसका प्रकाशन राज्य के प्रमुख हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः–अ०सं०क०–08–ग–आ०वि० (स्था०)–11/2024...1016.../ पटना, दिनांक 06.03.2026

प्रतिलिपि :–श्रीमती जयन्ति, विभागीय नोडल पदाधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई०टी०मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विज्ञापन प्रारूप (प्रति संलग्न) को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विशेष सचिव–सह–निदेशक 6/3/26.

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय
(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक/उच्च माध्यमिक (10+2) शिक्षक (प्रशिक्षित)/माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के नियोजन हेतु विज्ञापन

आवेदन प्राप्ति की प्रारंभिक तिथि– 20.03.2026 एवं अंतिम तिथि– 20.04.2026

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत 13 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की कुल 481 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्त्तमान में 02 जिलों यथा **दरभंगा एवं किशनगंज** में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित है तथा कटिहार, जमुई, नालन्दा, मुजफ्फरपुर एवं कैमूर में वर्ग 9 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित किया जाना है।

2. अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित) एवं माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के स्वीकृत पद के विरूद्ध निम्नांकित रिक्त पदों पर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 10+2 विद्यालयों से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक/10+2 शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त कर्मियों को निम्नांकित पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–10000, दिनांक–10.07.2015 में निहित सभी शर्त्तों के अधीन राज्य सरकार की आरक्षण नीतियों के तहत संविदा पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

क्र०	पद	विषय	रिक्त पदों की संख्या (पदो की संख्या x जिला)	आरक्षण बिन्दु
1	प्रधानाध्यापक		1×5=5	UR-03, EBC-01, SC-01
1	उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित)	अंग्रेजी	2×5=10	रोस्टर बिन्दु 1–10 UR-04, EBC-02, BC-01, SC-02, EWS-01
2		हिन्दी	2×5=10	रोस्टर बिन्दु 11–20 UR-03, EBC-02, BC-01, BCM-01, SC-01,ST-01, EWS-01
3		उर्दू	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 21–25 UR-03, BC-01, SC-01
4		गणित	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 26–30 UR-01, EBC-01, BC-01, SC-01, EWS-01
5		भौतिक शास्त्र	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 31–35 UR-03, EBC-01, SC-01
6		रसायन शास्त्र	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 36–40 UR-01, EBC-01, BC-01, SC-01, EWS-01
7		वनस्पति विज्ञान	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 41–45 UR-04, EBC-01
8		जीव विज्ञान	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 46–50 UR-01, EBC-01, BC-01, SC-01, EWS-01
9		कम्प्यूटर	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 51–55 UR-03, EBC-01, BCM-01
10		इतिहास	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 56–60 UR-01, EBC-01, BC-01, SC-01, EWS-01
11		भूगोल	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 61–65 UR-03, BC-01, SC-01
12		समाज शास्त्र	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 66–70 UR-01, EBC-02, SC-01, EWS-01
13		राजनीति शास्त्र	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 71–75 UR-03, BC-01, SC-01
14		गृह विज्ञान	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 76–80 UR-01, EBC-01, BC-01, SC-01, EWS-01
15		मनोविज्ञान	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 81–85 UR-03, EBC-01, BCM-01
16		अर्थशास्त्र	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 86–90 UR-01, EBC-01, BC-01, SC-01, EWS-01
		कुल	90	

क०प०उ०

9. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में महिलाओं, दिव्यांगो, स्वतंत्रता सेनानी के पोता–पोती / नाती नतिनी के लिए क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

10. सेवानिवृत्त शिक्षकों को आवासन की सुविधा उपलब्ध रहने के स्थिति में पदस्थापित आवासीय विद्यालय के परिसर में ही आवासित रहना होगा। आवासन की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने पर अपना आवासीय पता एवं सम्पर्क दूरभाष / मोबाईल नं० विद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

11. चयनित कर्मियों को विद्यालय द्वारा विहित / निदेशित विशेष कक्षा का संचालन करना होगा तथा शिक्षण कार्यों के अतिरिक्त विद्यालय प्रधान / निदेशालय / विभाग द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना होगा।

12. चयनित शिक्षकों की सेवा / देयता राज्य के किसी भी अन्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए होगा।

13. विज्ञापन को रद्द करने का सर्वाधिकार बिना कारण बताए निदेशालय / विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

विशेष सचिव–सह–निदेशक 6/3